



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13337

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 539 सन् 2026

राम चंद्र

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 1.08.1987 को दैनिक वेतनभोगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पहरेदार-पशु संरक्षक) के रूप में नियुक्त किया गया था और उसका दावा है कि वह वरिष्ठ अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप बिना किसी रुकावट के लगातार काम कर रहा है, फिर भी याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया है और न ही उसे न्यूनतम वेतनमान का हकदार बनाया गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान देने की प्रार्थना की गई है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि जो भी प्रश्न उठेगा वह यह होगा कि क्या याचिकाकर्ता पहले से ही काम कर रहा है और क्या वह वेतनमान का हकदार है। इन प्रश्नों की जांच सर्वप्रथम द्वितीय प्रत्यर्थी, कार्यकारी अभियंता, सिरसी बांध, मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर द्वारा की जानी चाहिए। इसलिए, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह द्वितीय प्रत्यर्थी, कार्यकारी अभियंता, सिरसी बांध, मिर्जापुर डिवीजन, मिर्जापुर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक व्यापक प्रत्यावेदन 06.02.2026 तक प्रस्तुत करे। उक्त प्रस्ताव पर, तीसरे प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता की पात्रता और दावे की जांच करेंगे और दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित करेंगे, और यदि याचिकाकर्ता रिट याचिका संख्या 12358/2019 (राम नरेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), रिट याचिका संख्या 18119/2019 (राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या 18693/2020 (मोहम्मद साहीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या 2844/2023 (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के निर्णयों के आलोक में उक्त लाभों के हकदार हैं, तो उक्त लाभ याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार शीघ्रता से प्रदान किए जाएंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।